न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 94 / 2020

दिनेश चंद पुत्र श्री बृजमोहन निवासी गांव व पोस्ट नारोली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर / डीग / नदबई / रूपवास / वैर / भुसावर / बयाना / नगर / कामां
(अन्तरित द्वारा ,अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0भरतपुर)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 01.01.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनेश चंद पुत्र श्री बृजमोहन निवासी गांव व पोस्ट नारोली तहसील बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 03.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 774 दिनांक 02.12.2020 से अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर से उनके पत्रांक 5995 दिनां 07.12.2020 से जबाब प्राप्त हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर ने उपलब्ध नही कराई है। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर से वांछित सूचनाएँ दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध मे अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी भरतपुर / डीग / नदबई / रूपवास [illegible] नगर / कामां से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 5311-19 [illegible] 09.10.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर / डीग / नदबई / [illegible] / कामां को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धा[illegible] अंतरित कर दि[illegible] है । अतिरिक्त कलक्टर(शहर) एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य [illegible]भाग कलै0 भरतपुर [illegible] पत्रांक 5311-19 दिनांक 09.10.2020 से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर / डीग / नदबई / रूपवास / वैर / भुसावर / बयाना / नगर / कामां को यह भी निर्देशित किया गया है कि वांछित सूचनाएं प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना से उन्हें भी सूचित किया जावे । उक्त पत्र की प्रति अपीलान्ट को भी भेजी गई है । सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध न कराने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारियों ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर/डीग/नदबई/रूपवास/वैर/भुसावर/बयाना/नगर/कामां को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर/डीग/नदबई/रूपवास/वैर /भुसावर/बयाना/नगर/कामां को भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested